डेयरी (दुधारू पशु पालन)

➢ **उद्देश्य :**

- दूग्ध उत्पादन के लिए आधुनिक डेयरी फार्म की स्थापना
- बछिया बछड़ा पालन को प्रोत्साहित करना जिससे अच्छे प्रजनन का स्टॉक का संरक्षण किया जा सके।
- असंगठित क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन लाना जिससे कि दूध का प्रारंभिक प्रसंस्करण गांव स्तर पर ही किया जा सके।
- व्यावसायिक स्तर पर दूध संरक्षण के लिए गुणवत्ता और पारंपरिक प्रौघोगिकी का उन्नयन
- असंगठित क्षेत्र के लिए स्वरोजगार पैदा करना

➢ **पात्रता/प्रयोजन :**

- कृषक, उद्यमी, एनजीओ, कम्पनी, स्वयं सहायता समूह, डेयरी सहकारी समितियॉ, मिल्क यूनियन/फेडरेशन आदि।
- पात्र गतिविधियॉ : 02 से 10 गाय/भैस की छोटी डेयरी इकाई की स्थापना, बछिया पालन, दुधारू पशु ईकाई सहित वर्मी कम्पोस्ट, दुध निथारने वाली मशीनों/मिल्क टेस्टरों/बल्क दूध प्रशीतन ईकाइयों की खरीद।

➢ **अंशदान :**

योजना लागत का न्यूनतम 15 प्रतिशत। (शासकीय योजना अन्तर्गत योजना अनुसार निर्धारित अंश राशि)

➢ **ब्याजदर :**

रू.10.00 लाख तक 11.50% वार्षिक। 10 लाख अधिक पर 12.50% वार्षिक।

➢ **प्रभार :**

प्रक्रिया शुल्क, दस्तावेज शुल्क एवं निरीक्षण प्रभार बैंक नियमानुसार देय होंगे।

➢ **पुनर्भुगतान :**

समीकृत मासिक किश्तों में अधिकतम अवधि 05 से 06 वर्ष

➢ **आवश्यक दस्तावेंज :**

- पहचान दस्तावेज यथा आधार कार्ड/वोटर आयडी कार्ड/ड्रायविंग लायसेंस/पेन कार्ड/पासपोर्ट/नरेगा जॉब कार्ड/अन्य दस्तावेज
- पते का दस्तावेज
- नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटो
- कृषि भूमि का रेकार्ड (खसरा खतौनी (BI & PII) की नकल)
- क्रय किये जाने वाली वस्तुओं/उपकरण आदि के कोटेशन
- प्रस्तावित योजना संबंधित तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट

➢ **अधिक जानकारी के लिए नजदीकी शाखा से सम्पर्क करें। ऋण प्रकरण का निराकरण निर्धारित मानदण्ड के तहत किया जावेगा।**

.....